

श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव

बनाम

भारत संघ और बिहार राज्य (और अन्य मामले)

[हरिलाल कानिया, मुख्य न्यायाधीश, पतंजलि शास्त्री , मुखर्जी , दास एवं चंद्रशेखर अय्यर जे.जे.]

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 , अनुच्छेद 31 ए , 31 बी -
वैधता- भारत का संविधान, 1950 , अनुच्छेद 13(2), 368 , 379, 392- अनंतिम संसद
- संविधान को संशोधन की शक्ति- संशोधन(कठिनाइयों को दूर करना) 1950 के
आदेश संख्या- 2- वैधता- संविधान का संशोधन-प्रक्रिया- विधायिका के द्वारा बिल का
संशोधन- मौलिक अधिकारों में कटौती करने वाला संशोधन- भूमि को प्रभावित करने
वाला संशोधन-संशोधन अधिनियम की वैधता ।

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951, अन्य बातों के साथ-साथ,
अनुच्छेद 31ए और 31बी भी संविधान में शामिल किया गया है, वह अधिकार क्षेत्र
से बाहर या असंवैधानिक नहीं है।

अनंतिम संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति
का प्रयोग करने के लिए सक्षम है । तथ्य यह है की उक्त अनुच्छेद संसद के दोनों
सदनों और राष्ट्रपति को अलग-अलग संदर्भित करता है न की संसद को , और यह
निष्कर्ष नहीं निकलता है की जिस निकाय को संशोधन करने की शक्ति दी गई है वह
संसद नहीं है, बल्कि दोनों सदनों से बना एक अलग निकाय है ।

अनुच्छेद 379 में," संसद को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त सभी
शक्तियां" शब्द है । वे ऐसी शक्तियाँ तक ही सीमित नहीं है जिनका प्रयोग एकल सदन

वाली अस्थाई संसद दारा किया जा सकता है , लेकिन अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संविधान में संसोधन की शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त है ।

26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया संविधान (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश संख्या 2, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 368 को अनुकूलित करना है , " प्रत्येक सदन के किसी भी सदन " और " प्रत्येक सदन में " को छोड़कर और "उस सदन" के लिए संसद को, अनुच्छेद द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों से परे प्रतिस्थापित करना नहीं है । अनुच्छेद 392 में अधिकारातिष्ठ कुछ भी नहीं है । अनुच्छेद 392 में कुछ नहीं है जो यह सुझाव देता है की राष्ट्रपति को किसी विशेष अनुच्छेद को अपनाने से पहले , तब तक इंतजार करना चाहिए जब अनंतिम संसद अनुच्छेद द्वारा प्रदत्तशक्ति का प्रयोग करने का अवसर वास्तव में न आ जाये ।

अनुच्छेद 368 अपने आप में एक पूर्ण कोड है इसके द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के लिए और इसे पेश किये जाने के बाद संविधान के संसोधन के लिए किसी विधेयक के किसी भी संसोधन पर विचार नहीं करता है , और यह की यदि विधेयक को सदन के माध्यम से पारित होने के दौरान संशोधित किया जाता है , तो संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया नहीं कहा जा सकता है , अमान्य होगा, गलत है ।

हालाँकि " कानून" में आम तौर पर संवैधानिक कानून शामिल होना चाहिए । विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाये गए सामान्य कानून और घटक शक्ति के प्रयोग में बनाये गए संवैधानिक कानून के बिच एक स्पष्ट सीमांकन है । अनुच्छेद 13 के सन्दर्भ में , "कानून" का अर्थ इन नियमों या विनियमों से लिया जाना चाहिए जो साधारण विधायी शक्तियों के द्वारा बनाया गया हो न की संविधान में संसोधन द्वारा बनाया गया हो । अनुच्छेद 13(2) , अनुच्छेद 368 के तहत संसोधन को प्रभावित नहीं करते हैं ।

अनुच्छेद 31ए एवं 31 बी जो संविधान संशोधन(प्रथम संसोधन) अधिनियम, 1951 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया वो उच्च न्यायलय की

शक्तियां जो उन्हें अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त हैं , उसकी कटौती नहीं करती है, या उच्चतम न्यायालय को भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को, अनुच्छेद 132 एवं 136 के तहत , रिट जारी करना और ऐसी रिटों को जारी करने या अस्वीकार करने के आदेशों से अपीलों पर विचार करने के लिए , कटौती नहीं करती है , लेकिन वे केवल भाग- III के कुछ वर्गों के मामले दायरे से बाहर हैं । अतः इस अनुच्छेद हेतु , अनुच्छेद 368(b) के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है ।

अनुच्छेद 31 ए और 31 बी इस आधार पर अमान्य नहीं हैं की वे यह भूमि से सम्बन्धित हैं जो राज्य सूचि (सूचि II की मद 18) द्वारा आच्छिन्न किया गया मामला है क्योंकि ये अनुच्छेद अनिवार्य रूप से संविधान के संशोधन हैं और केवल संसद को ही इसे अधिनियमित करने की शक्ति है ।

मूल न्यायाधिकार : संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएँ (आवेदन संख्या 166,287,317 से 319, 371,372,374 से 389,392 से 395,418,481 से 485 वर्ष 1951) जिन तथ्यों के कारण ये याचिकाये दायर की गईं वे फैसले में बताये गए हैं ।

दलीले सितम्बर माह के 12 वी ,14 वी, 17 वी,18 वी एवं 19 वी तारीख को सुनी गईं ।

याचिकाकर्ताओं के लिए पी०आर० दास (बी. सेन उनके साथ) याचिका संख्या 371,372,382,383,388, और 392 । संविधान का अनुच्छेद 368 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है । यह विधेयक पेश होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में किसी भी संशोधन पर विचार नहीं करता है । विधेयक को पारित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा उस पर सहमती दी जानी चाहिए क्योंकि इसे बिना किसी संशोधन के पेश किया गया था , चुकीं संविधान संशोधन विधेयक को संसद द्वारा पारित किये जाने

के दौरान कई मायनों में संशोधित किया गया था , इसलिए संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम को अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारित नहीं किया गया था और इसलिए अमान्य है । जब संसद अपनी सामान्य , विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है तो उसे अनुच्छेद 107,108,109(3) और (4) के तहत विधेयको में संशोधन करने की शक्ति रखती है । जब वह स्वयं संविधान में संशोधन करना चाहती है तो उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, स्वयं अनुच्छेद 368 के रूप में ऐसी कोई शक्ति नहीं देता है : इंग्लैण्ड का 1911 का संसद अधिनियम (सी एफ)। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित नहीं है बल्कि एक अलग संस्था में निहित है अर्थात् दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत में निहित है । अनुच्छेद 368 में जानबूझकर संसद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है , जो अन्य अनुच्छेद में आता है । सामान्य विधायी शक्ति और संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बीच अंतर है। यह भेद अमेरिका में देखा जाता है और संविधान में संशोधन करने की शक्ति वहां भी एक अलग संस्था में निहित है। विड विलिस, पृष्ठ 875, कूली खंड। 1. पृष्ठ 4, ऑरफील्ड, पृष्ठ 146। अनुच्छेद 379 एक विधायी निकाय के रूप में अनंतिम संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 368 के तहत शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 379 के तहत अनंतिम संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना था। चूंकि इसमें केवल एक सिंगी चेंबर शामिल है, संविधान (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश संख्या 2 द्वारा अनुच्छेद 368 में किए गए अनुकूलन अधिकारातीत हैं। अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति को केवल ऐसी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति देता है जो संविधान के कामकाज में उत्पन्न होती हैं। इसका उपयोग संविधान में संशोधन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संविधान द्वारा जानबूझकर पेश की गई हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन संविधान के कामकाज में संभवतः कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई होगी। संविधान को कानूनी रूप से केवल भाग V के खंड 2 के तहत गठित दो सदनों वाली संसद द्वारा संशोधित किया जा

सकता है। किसी भी स्थिति में, लागू अधिनियम अनुच्छेद 13 (2) के तहत शून्य है क्योंकि यह संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है। भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13(2) में 'कानून' में स्पष्ट रूप से संसद द्वारा पारित सभी कानून शामिल हैं और इसमें संविधान में संशोधन करने वाले अनुच्छेद 368 के तहत पारित कानून शामिल होने चाहिए: संविधान सभा बहस, खंड। IX क्रमांक 37, पृ. 1644, 1645, 1661, 1665।

याचिका संख्या 375 में याचिकाकर्ता के लिए एस.एम. बोस (एम.एल.चतुर्वेदी, उनके साथ)। अनुच्छेद 368 में "केवल" शब्द निम्नलिखित सभी को संदर्भित करता है और अनुच्छेद 368 किसी विधेयक को पेश किए जाने के बाद उसमें संशोधन पर विचार नहीं करता है। राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 392 के तहत उनकी शक्तियों के विपरीत है। अनुच्छेद 368 पर काम करने में कोई कठिनाई नहीं है और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 392 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में 368 को अनुकूलित करने का कोई अवसर नहीं हो सकता है।

याचिका संख्या 368 में याचिकाकर्ता के लिए एस. चौधरी (उनके साथ एम. एल. चतुर्वेदी) ने पी. आर. दास और एस. एम. बोस के तर्कों को अपनाया।

याचिका संख्या 387 में याचिकाकर्ता के लिए एस.के.धर (नानक चंद और एम् .एल .चतुर्वेदी उनके साथ) उस पर संविधान द्वारा संसद को दिए गए सभी कर्तव्यों का पालन करने का दायित्व है। इसलिए संसद भाग III द्वारा गारंटीकृत नागरिकों की संपत्ति के अधिकारों को कम करने की कोशिश नहीं कर सकती है। चूंकि वर्तमान अधिनियम भाग III के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, इसलिए यह अनुच्छेद 13(2) के तहत शून्य है। किसी भी स्थिति में, नए अनुच्छेद 31ए और 31बी अनुच्छेद 32, 132 और 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर देते हैं, और इस प्रकार, उन्हें प्रावधान के खंड (बी) के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 और अनुसमर्थन न

होने के कारण, वे शून्य और असंवैधानिक हैं। वे भूमि से संबंधित होने के कारण अधिकार क्षेत्र से बाहर भी हैं, यह विषय सूची ॥ (आइटम 18 देखें) में शामिल है, जिस पर राज्य विधानमंडलों को विशेष शक्ति प्राप्त है। संसद किसी ऐसे कानून को मान्य करने वाला कानून नहीं बना सकती जिसे बनाने की उसके पास कोई शक्ति नहीं है।

याचिका संख्या 481 से 484 में याचिकाकर्ताओं के लिए एन. पी. अस्थाना (के. बी. अस्थाना, उनके साथ)। अनुच्छेद 368 किसी भी निकाय को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह बस संविधान में संशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस दृष्टि से अनुच्छेद 379 लागू ही नहीं होता। अनुच्छेद 392 के तहत राष्ट्रपति स्वयं संविधान में बदलाव कर सकते हैं लेकिन वह अस्थायी संसद को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते।

याचिका संख्या 485 में याचिकाकर्ता के लिए एस. पी. सिन्हा (नानक चंद, उनके साथ)। अनुच्छेद 13 (2) का दायरा बहुत व्यापक है और यह अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी कानूनों को अमान्य कर देता है जो संविधान के भाग iii द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कम करना चाहते हैं। यह अनुच्छेद 368 के तहत पारित कानूनों को इसके संचालन से छूट नहीं देता है।

एन. सी. चटर्जी (याचिका संख्या 287 में याचिकाकर्ता के लिए वी. एन. स्वामी के साथ और याचिका संख्या 318 में याचिकाकर्ता के लिए अब्दुल रज्जाक खान के साथ)। अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 13(2) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 31ए और 31बी प्रकृति में विधायी हैं और संसद की कानून बनाने की शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित किए गए थे, न कि संशोधन करने की किसी शक्ति के प्रयोग में, संविधान और संसद के पास कानूनों को मान्य करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं थी उन्हें अधिनियमित करने के लिए।

याचिका संख्या 166 में याचिकाकर्ता के लिए एन. आर. रेघवाचारी (वी. एन. स्वामी, उनके साथ)। मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं और अनुच्छेद 13(2) भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के किसी भी संशोधन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

याचिका संख्या 319 में याचिकाकर्ता के लिए एन.एस. बिंद्रा (कहान चंद चोपड़ा, उनके साथ)।

याचिका संख्या 374, 376, 377, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 389, 393, 394 और 395 में याचिकाकर्ताओं के लिए एम.एल.चतुर्वेदी।

याचिका संख्या 418 में याचिकाकर्ता की ओर से बिशन सिंह।

अब्दुल रज्जाक खान और पी.एस.सफीर याचिकाकर्ता के आवदेन स. 317 की ओर से ।

एम. सी. सीतलवाड, भारत के अटॉर्नी-जनरल (जी. एन. जोशी के साथ) भारत संघ के लिए, और (विधि नारायण सिंह, जी. एन. जोशी, ए. कुप्पुस्वामी और जी. दुर्गाबाई के साथ) बिहार सरकार की ओर से । अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति संसद है । बिल पारित करने की प्रक्रिया वही है जो किसी साधारण विधायी बिल का है । अनुच्छेद का यह मतलब नहीं है की अनुच्छेद 368 के अधीन शक्तियों का प्रयोग अलग-अलग बहुमत का उत्तर-चढ़ाव वाला निकाय द्वारा किया जायेगा , संसद द्वारा नहीं । यदि घटक सत्ता एवं वि धाई सत्ता दो अलग अलग निकाय है तो तब अनुच्छेद 2,3 ,4 एवं 240 का सेविंग क्लॉज अर्थहीन हो जायेगा । अनुच्छेद 379 के तहत अस्थायी संसद, संसद के सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, अतः संसद अनुच्छेद 368 के तहत भी कार्य कर सकती है । सभी शक्तियों में, अनुच्छेद 379 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति भी शामिल है और इसे प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं है । उक्त अनुच्छेद में शब्द “सभी कार्य करेगी” किसी भी हालत में संसद की शक्तियों में कटौती नहीं करती है अनुच्छेद 379 के तहत , क्युकी अनुच्छेद 13(2) किसी तरह के निषेध नहीं करती है । सभी शक्तियों के प्रयोग करने में अनुमति देने में अनुच्छेद 379

एवं 13(2) में को विरोधाभास नहीं है | अनुच्छेद 392 (1) में दिए गए शब्द “कठिनाई “ का कोई तकनीकी अर्थ नहीं देना चाहिए| अनुच्छेद 368 को अनुकूलित , वास्तव में कठनाइयों को दूर करना है | अनुकूलन का चरित्र स्थायी पकृति की नहीं होती है | यह दर्शित करता है की अनुकूलन संशोधन नहीं है और यदि है भी तो , उसे ऐसा अनुकूलित कर के किया गया है | अनुच्छेद 13(2) मौलिक अधिकारों से असंगत “कानून” को प्रतिबंधित करता है | कानून शब्द के कारण यह अनुच्छेद 368 को प्रभावित नहीं कर सकता है | अनुच्छेद 13(2) में सामान्य विधायी अधिनियमों को संदर्भित किया गया है न की सम्बिधान निर्माण को | यह तर्क की विधेयक संविधान में संशोधन को पारित किया जाना चाहिए , जैसा की बिना संशोधन के पेश किया गया है , गलत है | यह नहीं कहा जा सकता की अनुच्छेद 368 में निर्धिष्ट विधेयक को अनुच्छेद 107 और 108 में सामान्य विधेयको के लिए निर्धारित प्रक्रिया से अलग प्रक्रिया के तहत निपटाना जाना है | अनुच्छेद 31 ए एवं 31 बी विधायी नहीं है | उक्त अनुच्छेद 226 और 32 के दायरे को प्रभावित नहीं करते हैं , उक्त दो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के तहत न्यायलय की शक्ति अपरिवर्ति रहती है | मौलिक आधिकारो की सामग्री को बदलने के लिए क्या किया गया |

पी.एल बनर्जी , महाधिवक्ता -उत्तर प्रदेश (उनके साथ यु.के.मिश्रा और गोपालजी मेहरोत्रा) इनके द्वारा महा न्यायवादी के तर्कों को स्वीकार किया गया और साथ ही तर्क दिया गया की अनुच्छेद 31 ए एवं 31 बी एक साथ कार्य नहीं करते हैं, यदि 31 बी विलोपित भी हो जाये तो 31 ए हमेशा रहेगा |

टी.एल. शेवडे, महाधिवक्ता , मध्य प्रदेश (टी.पी .नायक उनके साथ) इनके द्वारा महा न्यायवादी के तर्कों को स्वीकार किया गया और साथ ही तर्क दिया गया की अनंतिम संसद सक्षम है , वह सब करें जो भविष्य की संसद कर सकती है | अनुच्छेद 392 के अंतर्गत अनुकूलन , अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का प्रयास नहीं करती है |

पी.आर.दास , एस.एम.बोस , एस.चौधरी. एन.चटर्जी. एस.के.धर और एस.पी.सिन्हा ने बहस का जबाब दिया ।

5 अक्टूबर ,1951 को न्यायालय का निर्णय पारित किया गया द्वारा -

पतंजलि शास्त्री- न्ययाधीश -ये याचिकाएं जिन्हें एक साथ सुना गया, सभी एक आम सवाल उठाते हैं की क्या संविधान(प्रथम संशोधन) अधिनियम ,1951 जो हाल ही में अनंतिम संसद के द्वारा पारित किया गया है और जिसका उद्देश्य संविधान में अनुच्छेद 31 ए एवं 31 बी जोड़ा गया है वो अधिकार से परे है और असंवैधानिक है ।

उस अधिनियम को को किस कारण से लागु किया गया है यह समान्य ज्ञान का विषय है । अब जो राजनितिक दल सत्ता में है , उसके पास कई राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ संसद में भी बहुमत है , उसने कानून बनाकर बिहार , उत्तरप्रदेशपर इस आधार पर हमला किया है की और मध्य प्रदेश में कृषि सुधार के कुछ उपाय किये हैं , जिन्हें अनिवार्य रूप से लागु किया जा सकता है, जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के रूप में जाना जाता है । कुछ जमींदारो ने खुद को व्यथित महसूस करते हुए अदालतों में उन अधिनियमों के वैधता पर इस आधार पर चुनौती दिया है उक्त अधिनियम ने संविधान के भाग iii द्वारा उन्हें प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है । पटना उच्च न्यायलय ने माना की बिहार में पारित अधिनियम असंवैधानिक जबकि इलाहाबाद एवं नागपुर के उच्च न्यायलय ने क्रमशः उत्तरप्रदेश एवं मध्य प्रदेश से सम्बन्धित कानून की वैधता को बरकरार रखा है । उन निर्णयों की अपील इस न्यायलय में लंबित है । इस स्तर पर, केंद्र सरकार ने इस सभी मुकदमेबाजी को समाप्त करने और संविधान के कामकाज में सामने आए कुछ दोषों को दूर करने के उद्देश्य से, संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाया, जो, विभिन्न विशिष्टताओं में संशोधनों से गुजरने के बाद, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 (इसके बाद इसे संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के रूप में अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया। सरकार के इस कदम पर त्वरित

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जमींदारों ने संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिकाएँ दायर की हैं।

मुख्य बहस जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा किया गया है उसको संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

सबसे पहले, अनुच्छेद 368 के तहत प्रदत्त संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को नहीं बल्कि एक निर्दिष्ट निकाय के रूप में संसद के दोनों सदनों को प्रदान की गई थी और इसलिए, अनंतिम संसद उस शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम नहीं थी। अंतर्गत अनुच्छेद 379 |

दूसरे, यह मानते हुए कि शक्ति संसद को प्रदान की गई थी, यह अनुच्छेद 379 के आधार पर अनंतिम संसद को हस्तांतरित नहीं हुई क्योंकि शब्द "इस संविधान के प्रावधानों द्वारा संसद को प्रदत्त सभी शक्तियाँ" केवल ऐसी शक्तियों को संदर्भित कर सकती हैं जैसे एक सदन वाली अनंतिम संसद द्वारा प्रयोग किये जाने में सक्षम हैं। अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त शक्ति संसद के दोनों सदनों की सहयोगात्मक कार्रवाई की मांग करती है और इसका उचित प्रयोग केवल अध्याय के तहत विधिवत गठित संसद द्वारा ही किया जा सकता है। भाग V का 2.

तीसरा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया संविधान (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश संख्या 2, 1950 में, जहां तक इसका आशय अनुच्छेद 368 को "दोनों सदनों में से किसी एक" को हटाकर और "उस सदन" के स्थान पर "संसद" को प्रतिस्थापित करने से है, अनुच्छेद 392 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से परे है, "किसी भी सदन" के रूप में उस अनुच्छेद के तहत अनुकूलन द्वारा दूर की जाने वाली कठिनाइयाँ संक्रमणकालीन अवधि के दौरान संविधान के वास्तविक कामकाज में कठिनाइयाँ होनी चाहिए जिन्हें दूर करना सरकार को चलाने के लिए आवश्यक है। संविधान के प्रारंभ की तिथि पर ऐसी कोई कठिनाई संभवतः अनुभव नहीं की जा सकती थी।

चौथा, किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 368 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और सदन में पेश होने के बाद विधेयक में किसी भी संशोधन का प्रावधान नहीं है। वर्तमान मामले में विधेयक को सदन से पारित होने के दौरान कई विशिष्टताओं में संशोधित किया गया है, संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारित नहीं किया गया कहा जा सकता है।

पांचवां, संशोधन अधिनियम, जहां तक इसका उद्देश्य संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनना या कम करना है, अनुच्छेद 13(2) के निषेध के अंतर्गत आता है।

और अंत में, चूंकि नए सम्मिलित अनुच्छेद 31 ए और 31 बी भाग V के अध्याय IV में अनुच्छेद 132 और 136 और भाग VI के अध्याय V में अनुच्छेद 226 में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अनुच्छेद 368 के प्रावधान के खंड (बी) के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता है। , और इस प्रकार अनुसमर्थित न होने के कारण, वे शून्य और असंवैधानिक हैं। वे अधिकारातीत भी हैं क्योंकि वे सूची II में उल्लिखित मामलों से संबंधित हैं, जिनके संबंध में राज्य विधानमंडलों के पास कानून बनाने की शक्ति है, न कि संसद के पास।

इन बिंदुओं से निपटने से पहले यहां अनुच्छेद 368, 379 और 392 के भौतिक अंशों को प्रस्तुत करना सुविधाजनक होगा, जिनके वास्तविक निर्माण पर ये तर्क काफी हद तक बदल गए हैं।

368. इस संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, और जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के प्रस्तुत और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, इसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक को ऐसी

सहमति दिए जाने पर, संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाएगा:

बशर्ते कि यदि ऐसा संशोधन कोई में परिवर्तन-

(ए) अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 या 241, या

(बी) भाग V का अध्याय IV, भाग VI का अध्याय V, या भाग XI का अध्याय I, या

(सी) सातवीं अनुसूची में से कोई भी सूची, या

(डी) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या

(ई) इस लेख के प्रावधान,

इस तरह के संशोधन के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले संशोधन को पहली अनुसूची के भाग ए और बी में निर्दिष्ट आधे से कम राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उन विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए संकल्प द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता होगी और तब सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत की जाएगी |

379 (1) जब तक संसद के दोनों सदनों का विधिवत गठन नहीं हो जाता और उन्हें इस संविधान के प्रावधानों के तहत पहले सत्र के लिए बुलाया नहीं जाता, तब तक यह निकाय इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में कार्य करेगा। अनंतिम संसद और इसके प्रावधानों द्वारा संसद को प्रदत्त सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगी।

392. (1) राष्ट्रपति, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन के संबंध में, किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि यह संविधान ऐसी अवधि के दौरान, जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है, ऐसे अनुकूलन के अधीन प्रभावी होगी, चाहे संशोधन, परिवर्धन या लोप के माध्यम से, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे: बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश भाग V के अध्याय II के तहत विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के बाद नहीं किया जाएगा।

*

*

*

*

पहले बिंदु पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि जब भी संविधान संसद को शक्ति प्रदान करने की मांग करता है, तो यह विशेष रूप से शक्ति के स्रोत के रूप में "संसद" का उल्लेख करता है, जैसा कि अनुच्छेद 2, 3, 33, 34 और कई अन्य लेखों में है। , लेकिन इसने जानबूझकर अनुच्छेद 368 में उस अभिव्यक्ति के उपयोग से परहेज किया। यह महसूस करते हुए कि संविधान, देश के मौलिक कानून के रूप में, पार्टी बहुमत की इच्छा के अनुसार बार-बार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए, निर्माताओं ने रास्ते में विशेष कठिनाइयां रखीं संविधान में संशोधन करना और यह सामान्य विधायिका के अलावा किसी अन्य निकाय को संशोधन की शक्ति प्रदान करने की उस योजना का एक हिस्सा था, जैसा कि अमेरिकी संघीय संविधान के अनुच्छेद 5 द्वारा किया गया था। हम उस दृष्टिकोण को अपनाने में असमर्थ हैं। लिखित संविधानों में संवैधानिक संशोधन के विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं, जैसे जनमत संग्रह द्वारा, एक विशेष सम्मेलन द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया के तहत कानून द्वारा, इत्यादि। लेकिन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इनमें से कौन सा तरीका अपनाया है, इसका पता संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों से ही लगाया जाना चाहिए, बिना किसी प्राथमिकता के आधार पर या अन्य संविधानों की सादृश्यता के आधार पर एक पद्धति के पक्ष में दूसरी पद्धति के पक्ष में। . तदनुसार, हम संवैधानिक संशोधनों से संबंधित प्रावधानों की ओर मुड़ते हैं।

अब, संविधान अपने प्रावधानों में तीन प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है। सबसे पहले, वे (जिन्हें पूर्ण बहुमत से लागू किया जा सकता है जैसे कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 4, 169 और 240 में विचार किए गए संशोधन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और उन्हें विशेष रूप से इसके, अनुच्छेद 368, दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरे, वे जिन्हें अनुच्छेद 368 में निर्धारित विशेष बहुमत द्वारा प्रभावी किया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित के अलावा सभी

संवैधानिक संशोधन इस श्रेणी में आते हैं और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से प्रभावी होने चाहिए और उसके साथ-साथ उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से; और तीसरा, जिनके लिए उपर्युक्त विशेष बहुमत के अलावा, पहली अनुसूची के भाग ए और बी में निर्दिष्ट आधे से कम राज्यों द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में ऐसे संशोधन शामिल हैं जो अनुच्छेद 368 के परंतुक में निर्दिष्ट प्रावधानों में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं। यह देखा जाएगा कि संशोधनों के पहले वर्ग को लागू करने की शक्ति स्पष्ट रूप से "संसद" को प्रदान की गई है, अर्थात् , संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति (अनुच्छेद 79)। इससे यह मान लिया जाएगा कि, इसके विपरीत स्पष्ट संकेत के अभाव में, अन्य दो वर्गों के संशोधनों को लागू करने की शक्ति भी एक ही निकाय, अर्थात् संसद, को एक अलग बहुमत की आवश्यकता के लिए प्रदान की गई है। जो केवल प्रक्रियात्मक है, अपने आप में किसी भिन्न निकाय को सत्ता सौंपने का कोई कारण नहीं हो सकता। अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त भाषा का परीक्षण उस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।

सबसे पहले, यह प्रदान किया जाता है कि संशोधन "संसद के किसी भी सदन में विधेयक" पेश करके शुरू किया जाना चाहिए, जो संसदीय प्रक्रिया की एक परिचित विशेषता है (अनुच्छेद 107 (1) जो कहता है "एक विधेयक की उत्पत्ति हो सकती है संसद का कोई भी सदन")। फिर, बिल को "प्रत्येक सदन में पारित किया जाना चाहिए" - ठीक वही जो संसद तब करती है जब उसे अपने सामान्य विधायी कार्य करने के लिए कहा जाता है [अनुच्छेद 107(2)]; और अंत में, इस प्रकार पारित विधेयक को "राष्ट्रपति के समक्ष उनकी "सहमति" के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, फिर से एक संसदीय प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रत्येक विधेयक को कानून-पुस्तक (अनुच्छेद 111) तक पहुंचने से पहले पारित होना चाहिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि संसद की प्रत्येक घटक इकाई को संविधान में संशोधन लाने में अपनी आवंटित भूमिका निभानी है। हम पहले

ही देख चुके हैं कि संसद ऊपर उल्लिखित प्रथम श्रेणी के संशोधनों को उसी तीन-स्तरीय प्रक्रिया से गुजरकर, लेकिन साधारण बहुमत के साथ लागू करती है। तथ्य यह है कि एक ही निकाय में अलग-अलग बहुमत की आवश्यकता होती है और दूसरी और तीसरी श्रेणी के संशोधनों को लागू करने से संशोधन करने वाली एजेंसी एक अलग संस्था नहीं बन सकती। इसलिए, कोई ताकत नहीं है, सुझाव में विशेष रूप से संसद का उल्लेख किया गया होगा यदि उस निकाय का इरादा शक्ति का प्रयोग करने का था। संसद के प्रत्येक सदन और राष्ट्रपति का अलग-अलग उल्लेख करने और संवैधानिक परिवर्तन लाने में उसकी उचित भूमिका तय करने के बाद, संविधान निर्माताओं ने संभवतः तीनों इकाइयों के सामूहिक पदनाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा।

ऊपर उल्लिखित अनुच्छेद 368 में आंतरिक संकेतों के अलावा, अनुच्छेद 2, 3, 4, 169 और 240 में एक ठोस तर्क पाया जाना है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, इन अनुच्छेदों के तहत "संसद" को शक्ति दी गई है संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करने के लिए बहुमत से कानून बनाना; लेकिन प्रत्येक मामले में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे किसी भी कानून को "अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए" संविधान का संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। इन कानूनों को अनुच्छेद 368 के क्रियान्वयन से बाहर करना काफी अनावश्यक, वास्तव में अनुचित होगा, जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यदि बाद वाले अनुच्छेद के तहत संशोधन करने की शक्ति भी संसद को नहीं दी गई थी।

ऊपर चर्चा किए गए बिंदु से कुछ हद तक निकटता से जुड़ी हुई आपत्ति वर्तमान मामले में विधेयक को संशोधित रूप में पारित किए जाने और मूल रूप से पेश किए जाने पर आधारित है। यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 368 इसके द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के संबंध में एक "संपूर्ण संहिता" है। किसी विधेयक को कैसे और किस नोटिस के बाद पेश किया जाना है, इसे प्रत्येक सदन द्वारा कैसे पारित किया जाना है और राष्ट्रपति की सहमति कैसे प्राप्त की जानी है, इस प्रक्रिया में अंतराल हैं। जाहिर है,

कैश हाउस द्वारा अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियमों का उद्देश्य, जहां तक संभव हो, लागू होना था। बार में इस बात पर कुछ चर्चा हुई कि क्या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि यह नहीं है, और इसलिए, "अनुच्छेद 107 में निर्धारित विधायी प्रक्रिया, जो विशेष रूप से किसी विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करने का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर लागू नहीं था। इस तर्क को आगे यह इंगित करके समर्थित किया गया कि यदि ऐसे विधेयक में संशोधन की अनुमति है, तो इसे किसी भी सदन के लिए खुला होना चाहिए। संशोधन प्रस्तावित करें और पारित करें, और यदि दोनों सदन सहमत होने में विफल रहे, तो अनुच्छेद 368 की पूरी मशीनरी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, ताकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को अनुच्छेद 108 में दिए गए साधारण बहुमत से पारित किया जा सके। अनुच्छेद 368 में अपेक्षित विशेष बहुमत को ध्यान में रखते हुए साधारण विधेयक का मामला अनुपयुक्त होगा। तर्क गलतफहमी पर आगे बढ़ता है। यह मानते हुए कि संविधान में संशोधन कानून नहीं है, भले ही इसे सामान्य विधायिका द्वारा इस उद्देश्य के लिए पेश किए गए विधेयक को पारित करके किया जाता है और अनुच्छेद 107 से 111 तब लागू नहीं हो सकते जब संसद अनुच्छेद 368 के तहत किसी विधेयक पर विचार कर रही हो, तो यह है कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि संसद को ऐसे अवसरों पर अपनी सामान्य प्रक्रिया क्यों नहीं अपनानी चाहिए, जब तक कि उस प्रक्रिया का वैधानिक आवश्यकताओं के साथ लगातार पालन किया जा सके। इस विवाद को खारिज करते हुए कि वैधानिक जांच करने वाले स्थानीय सरकारी बोर्ड को न्याय अदालत की प्रक्रिया द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए था, लॉर्ड हाल्डेन ने, स्थानीय सरकार बोर्ड बनाम आर्लिज (1) में कहा:

"इसका (बोर्ड का) चरित्र कार्यकारी कार्यों वाले एक संगठन का है। इसमें यह राज्य के अन्य महान विभागों से मिलता जुलता है। इसलिए, जब संसद इसे न्यायिक

कर्तव्य सौंपती है, तो किसी भी घोषणा के अभाव में, संसद को लिया जाना चाहिए इसके विपरीत, उस प्रक्रिया का पालन करने का इरादा रखता है जो उसकी अपनी है और अपना काम कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है।"

इन टिप्पणियों का यहां अनुप्रयोग है। संसद के गठन का प्रावधान करने और इसके सामान्य विधायी कार्य के संचालन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद, जिसे प्रत्येक सदन (अनुच्छेद 118) द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा पूरा किया जाएगा, संविधान के निर्माताओं का यह अवश्य इरादा होगा कि संसद को उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, जहां तक वह लागू हो, अनुच्छेद 368 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुरूप, जब उन्होंने उसे संविधान में संशोधन करने की शक्ति सौंपी थी।

यह तर्क कि दो सदनों वाली संसद को सौंपी गई शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 379 के तहत अनंतिम संसद की बैठक में नहीं किया जा सकता है क्योंकि एकल सदन संसद के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की योजना की अनदेखी करता है। ये प्रावधान संविधान द्वारा निर्मित सदनों के तहत कार्य करने वाली दो संसद की परिकल्पना करते हैं क्योंकि वे उसी आधार पर हैं। लेकिन निर्माताओं को अच्छी तरह से पता था कि संविधान के तहत पहले चुनाव होने तक ऐसी संसद का गठन नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, संविधान के तहत संसद को सौंपे गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान करना आवश्यक हो गया। तदनुसार, अनुच्छेद 379 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान सभा को संक्रमण काल के दौरान अनंतिम संसद के रूप में कार्य करना चाहिए और सभी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और संसद को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 379 को इस योजना के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा और व्याख्या किया जाना चाहिए, न कि केवल अनुच्छेद 368 के अलग-थलग संबंध में। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 368 में "दो सदनों" का संदर्भ उस प्रावधान को अनंतिम संसद पर लागू नहीं करता है, जो संसदीय कार्रवाई के संबंध में संविधान के सभी प्रावधानों पर समान रूप से लागू होगा और यदि स्वीकार

किया जाता है, तो अनुच्छेद 379 इसकी मूल भावना को समाप्त कर देगा। उद्देश्य और अर्थ. इस तरह के तर्क को टालने के लिए और जिस कठिनाई पर यह आधारित है उसे दूर करने के लिए और संक्रमणकालीन अवधि के दौरान संविधान को काम करने में समान प्रकृति की अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 392 में एक सामान्य शक्ति प्रदान करते हुए आगे का प्रावधान किया। राष्ट्रपति पर संविधान के प्रावधानों को उनकी शर्तों में उपयुक्त संशोधन करके अनुकूलित करने का दायित्व है। यह हमें अनुच्छेद 392 के निर्माण की ओर ले जाता है।

यह देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए उस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुकूलन किया जा सकता है वह व्यापक है। इसे "किसी भी कठिनाई" को दूर करने के उद्देश्य से बनाया जा सकता है। कठिनाइयों में से एक सी का विवरण उदाहरणात्मक है और सामान्य शब्दों को छोड़कर भारत संघ के दायरे को सीमित करने का प्रभाव हो सकता है। हालाँकि, यह आग्रह किया गया है कि अनुच्छेद 392 के तहत बिहार की शक्ति के अभ्यास से पहले की स्थिति को दूर करने के लिए कठिनाइयों का अस्तित्व है, अर्थात्, संविधान के कामकाज में वास्तव में अनुभव की गई कठिनाइयों का निवारण आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए, संक्रमण काल में अनुच्छेद 112, 113 आदि को लागू करने से जुड़ी कठिनाइयाँ। लेकिन, तर्क आगे बढ़ता है, संविधान संशोधन को उस अवधि के दौरान आवश्यक नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, संविधान में संशोधन एक बहुत ही गंभीर बात है, और इसलिए, यह प्रदान करके कि दोनों सदनों को प्रस्तावित संशोधन पर विचार-विमर्श करना होगा और विशेष बहुमत से विधेयक को पारित करना होगा, संविधान ने जानबूझकर अपने प्रावधानों में संशोधन करने के रास्ते में कठिनाइयाँ पैदा की हैं। यह मान लेना शानदार होगा कि, जानबूझकर उन कठिनाइयों को पैदा करने के बाद, इसने राष्ट्रपति को अपनी कलम के एक झटके से उन्हें हटाने का अधिकार दे दिया है। हमें इस पंक्ति के तर्क में कोई ताकत नहीं दिखती। यह कहना काफी हद तक सही है कि अनुकूलन द्वारा उन्हें दूर करने से पहले कठिनाई मौजूद होनी चाहिए, लेकिन

वास्तव में उन्हें हटाने का अवसर आने से पहले भी वे मौजूद रह सकते हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है, उन प्रावधानों को लागू करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जो अपने कार्यकाल के अनुसार दो सदनों की संसद पर लागू होते हैं, एक एकल सदन के रूप में बैठने वाली अस्थायी संसद में, वे कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वे उपयुक्तता से बाहर होती हैं। अनंतिम संसद पर लागू होने वाले प्रावधानों की भाषा को अनुच्छेद 379 द्वारा निर्मित स्थिति के साथ फिट होने के लिए उस भाषा को संशोधित करके हटाया जाना चाहिए। उस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुझाव दे कि राष्ट्रपति को किसी विशेष अनुच्छेद को अपनाने से पहले इंतजार करना चाहिए। जब तक कि वास्तव में अनंतिम संसद के लिए उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न आ जाए। न ही यहाँ राष्ट्रपति द्वारा संविधान की किसी भी कठिनाई को अपने अनुकूलन द्वारा दूर करने का कोई प्रश्न है और न ही जानबूझकर कठिनाइयाँ संशोधन के रास्ते में रखा गया है। अनुकूलन बहुमत की आवश्यकता को अछूता छोड़ देता है। किसी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना संसद के किसी भी सामान्य कानून की तुलना में ऐसे विधेयक के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हमारी राय है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के भीतर अनुच्छेद 368 का अनुकूलन वैध और संवैधानिक है।

इस तर्क में एक अधिक प्रशंसनीय तर्क दिया गया था कि संशोधन अधिनियम, जैसा कि यह किसी भी मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने का इरादा रखता है, निषेधात्मक अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत आता है जो प्रदान करता है कि "राज्य कोई भी कानून बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त प्रावधानों को छीन लेता है या संक्षिप्त कर देता है और इस खंड के संदर्भ में बनाया गया कोई भी कानून उल्लेख की सीमा तक शून्य होगा।" तर्क इस प्रकार दिया गया था: राज्य में संसद शामिल है (अनुच्छेद 12) और इसमें एक संवैधानिक संशोधन शामिल होना चाहिए। यह संविधान के निर्माताओं का जानबूझकर इरादा था, जिन्होंने भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक की पवित्रता को महसूस

किया, न केवल उन्हें प्रतिरक्षा हस्तक्षेप बनाने के लिए देश में विधायिकाओं द्वारा पारित सामान्य कानूनों के साथ-साथ राष्ट्रीय संशोधनों से भी। लिखित संविधान में यह घोषणा करना असामान्य नहीं है कि लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार "शाश्वत और अनुलंघनीय" होने चाहिए, उदाहरण के लिए जापानी संविधान का अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 अमेरिकी संघीय संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में उसके समान मताधिकार से वंचित करने वाला कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।" भारतीय संविधान के निर्माताओं के सामने अमेरिकी और जापान मॉडल थे, और उन्हें अनुच्छेद 13((2) में उपयुक्त व्यापक प्रावधान का उपयोग करके मौलिक अधिकारों के हनन में संवैधानिक संशोधनों पर भी रोक लगानी चाहिए। तर्क आकर्षक है, अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं जो विपरीत निष्कर्ष निकालते हैं।

यद्यपि "कानून" में आम तौर पर संवैधानिक कानून शामिल होना चाहिए, लेकिन सामान्य कानून, जो विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाया जाता है, और संवैधानिक कानून, जो घटक शक्ति के प्रयोग में बनाया जाता है, के बीच एक स्पष्ट सीमांकन है। डाइसी ने संवैधानिक कानून को "सभी नियमों को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में संप्रभु शक्ति के वितरण या अभ्यास को प्रभावित करते हैं।" इस प्रकार यह मुख्य रूप से राज्य के तीन महान अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के निर्माण, उनके बीच सरकारी शक्ति के वितरण और उनके पारस्परिक संबंधों की परिभाषा से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करते हुए भाग III में कुछ मौलिक अधिकारों को शामिल किया है और उन्हें राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया है। हालाँकि, इसके विपरीत स्पष्ट संकेत के अभाव में, हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि उनका इरादा उन अधिकारों को संवैधानिक संशोधन से मुक्त बनाने का भी था। हम यह सोचने के इच्छुक हैं कि उनके मन में वह बात रही होगी जो अधिक बार घटित होती है, अर्थात्, राज्य के विधायी और कार्यकारी अंगों द्वारा उनके

प्रयोग में बनाए गए कानूनों और नियमों के माध्यम से विषयों के अधिकारों पर आक्रमण। विधायी शक्ति, न कि संप्रभु घटक शक्ति के प्रयोग में संविधान में परिवर्तन द्वारा ऐसे अधिकारों को कम करना या रद्द करना। हालाँकि यह शक्ति संसद को सौंपी गई है, फिर भी इसे प्रतिबंधों से इतना घेर दिया गया है कि इसका प्रयोग कठिन और दुर्लभ होना चाहिए। दूसरी ओर, अनुच्छेद 368 की शर्तें पूरी तरह से सामान्य हैं और संसद को बिना किसी अपवाद के संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती हैं। यदि उस प्रावधान के कार्यान्वयन से मौलिक अधिकारों को बचाने का इरादा होता, तो यह बिल्कुल आसान होता। उस आशय में एक परंतुक जोड़कर उस आशय को प्रिय बनाना। संक्षेप में, हमारे पास यहां दो लेख हैं जिनमें से प्रत्येक को व्यापक रूप से वाक्यांशबद्ध किया गया है, लेकिन दूसरे के साथ इसके संचालन में विरोधाभास है। हार्मोनियोन निर्माण के लिए आवश्यक है कि एक को दूसरे द्वारा नियंत्रित और योग्य के रूप में पढ़ा जाए। ऊपर विज्ञापित विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में "कानून" का अर्थ विधायी शक्ति के प्रयोग से बनाए गए नियम या विनियम हैं, न कि घटक शक्ति के प्रयोग से किए गए संविधान में संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 13(2) का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किये गये संशोधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

यह केवल नव सम्मिलित अनुच्छेद 31 और 31बी के विरुद्ध आंशिक रूप से निर्देशित आपत्तियों से निपटना बाकी है। इनमें से एक आपत्ति अनुच्छेद 368 के तहत अनुसमर्थन की अनुपस्थिति पर आधारित है। ऐसा था कि, इन अनुच्छेदों को संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किए जाने से पहले, उच्च न्यायालयों के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जमींदारी की घोषणा करते हुए उचित रिट जारी करने की शक्ति थी। उन्मूलन अधिनियम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक है, और न्यायालय अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ अपील पर विचार कर सकता है। वास्तव में, कुछ उच्च न्यायालयों ने ऐसी

शक्तियों का प्रयोग किया था और इस न्यायालय ने अपीलों पर विचार किया था। हालाँकि, नए अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय को उक्त अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति से वंचित करते हैं, और इस तरह अध्याय में बदलाव करना चाहते हैं। भाग V और अध्याय के 4. भाग VI का 5. पहले यह प्रस्तुत किया गया था कि नए सम्मिलित अनुच्छेदों को अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता है। यह तर्क एक गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। ये अनुच्छेद जहाँ तक यहाँ सामग्री हैं, के अनुसार, इस प्रकार चलायें :-

31 ए. सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों को बचाना -

(1) इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, राज्य द्वारा किसी संपत्ति या उसमें मौजूद अधिकारों के अधिग्रहण या समाप्ति या संशोधन के लिए कोई कानून प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे किसी भी अधिकार को इस आधार पर शून्य माना जाएगा कि यह इस भाग के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है, या प्रदत्त अधिकारों में से किसी भी अधिकार को छीनता है या कम करता है।

* * * * *

31 बी. कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता- अनुच्छेद 31 ए में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम और विनियमों में से कोई भी नहीं और न ही इनमें से कोई भी, इसके प्रावधानों को शून्य माना जाएगा, या कभी भी शून्य हो गया होगा, इस आधार पर कि ऐसा अधिनियम विनियमन या प्रावधान इस भाग के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है, या प्रदत्त अधिकारों में से किसी को छीन लेता है या कम कर देता है, और किसी के बावजूद भी इसके विपरीत किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, उक्त प्रत्येक अधिनियम और विनियम, इसे निरस्त करने या संशोधित करने की किसी भी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन, लागू रहेंगे।

यह देखा जाएगा कि ये अनुच्छेद या तो शर्तों या प्रभाव में अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 132 और 136 में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। अनुच्छेद 31 ए का उद्देश्य राज्य द्वारा एक निश्चित प्रकार की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों को बचाना है। भाग III में अन्य प्रासंगिक लेखों के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 13 के संचालन से, जबकि अनुच्छेद 31 बी का तात्पर्य पहले से पारित कुछ निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों को मान्य करना है, जो, ऐसे प्रावधान के लिए, अनुच्छेद 13 के तहत लागू होने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह कहना सही है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को "भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए" रिट जारी करने की शक्तियाँ हैं या इस न्यायालय को अनुच्छेद 132 और 136 के तहत ऐसे रिट जारी करने या अस्वीकार करने वाले आदेशों के खिलाफ अपील पर विचार करने की शक्तियाँ हैं। किसी भी तरह से प्रभावित, वे वैसे ही बने हुए हैं जैसे वे पहले थे: केवल एक निश्चित वर्ग के मामले को भाग III के दायरे से बाहर रखा गया है और अदालतें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, इसलिए नहीं कि उनकी शक्तियों को किसी भी तरीके से या किसी भी हद तक कम कर दिया गया है। , लेकिन क्योंकि इसके बाद ऐसे मामलों में उनकी शक्ति के प्रयोग का कोई अवसर नहीं होगा।

अन्य आपत्ति यह है कि नए अनुच्छेदों को लागू करना संसद की शक्ति से परे है, यह भी उतना ही अस्थिर है। ऐसा कहा गया था कि वे भूमि से संबंधित थे जो सातवीं अनुसूची की सूची II के आइटम 18 के अंतर्गत आती थी और अकेले राज्य विधानसभाओं के पास उस मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति थी। उत्तर यह है कि, जैसा कि कहा गया है, अनुच्छेद 31 ए और 31 बी वास्तव में कानूनों के एक निश्चित वर्ग और पहले से ही पारित कुछ निर्दिष्ट कानूनों को संविधान के पार्ट iii के अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 13 के संयुक्त संचालन से बचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार नए अनुच्छेद अनिवार्य रूप से संविधान के संशोधन हैं, अकेले संसद के पास उन्हें अधिनियमित करने की शक्ति थी। इस प्रकार बचाए गए

कानून सूची II में शामिल मामलों से संबंधित किसी भी तरह से स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं। यह कहा गया कि संसद उस कानून को मान्य नहीं कर सकती जिसे बनाने की उसके पास शक्ति है। यह प्रस्ताव वहीं लागू होता है जहां लागू प्रावधान की वैधता लागू हो जाती है, भले ही विषय-वस्तु इसे पारित करने वाली विधायिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर या बाहर आती हो। लेकिन ऐसा कानून बनाना जो संवैधानिक रूप से वैध संविधान का उल्लंघन करता है, संवैधानिक संशोधन का मामला है और इस तरह यह विशेष शक्ति संसद के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न कि क्या अनुच्छेद 31 बी का उत्तरार्द्ध बहुत व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है, हमारे समक्ष बहस नहीं की गई और हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

याचिकाएं खारिज.

याचिका संख्या 371 372, 382, 383, 388 और 392 में याचिकाकर्ताओं के लिए एजेंट: 1. एन. श्रॉफ।

याचिका संख्या 287 374 से 381, 393, 394, 395 में याचिकाकर्ताओं के लिए एजेंट: राजिंदर नारायण।

याचिका संख्या 387, 418, 481 से 485, 384, 385, 386 और 389 में याचिकाकर्ताओं के लिए एजेंट: एस.एस. शुक्ला ।

याचिका संख्या 166 में याचिकाकर्ता के लिए एजेंट: एम. एस. के. शास्त्री ।

याचिका संख्या 317 और 319 में याचिकाकर्ताओं के लिए एजेंट: आर.एस. नरूला।

याचिका संख्या 318 में याचिकाकर्ता के लिए एजेंट: गणपत राय।

उत्तरदाताओं के लिए एजेंट: पी. ए. मेहता।

संतोष कुमार गुप्ता

